



थाना – कप्तानगंज, जनपद – आजमगढ़

राधा फैमिली रेस्टोरेंट में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़, होटल मालिक सहित

09 गिरफ्तार

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में राधा फैमिली रेस्टोरेंट में संचालित अनैतिक देह व्यापार का पर्दाफाश करते हुए होटल मालिक सहित 05 युवक व 04 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से नगदी, मोबाइल, आपत्तिजनक सामग्री व वाहन बरामद किए गए।

संक्षिप्त विवरण:

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायत में महाराजगंज रोड स्थित राधा फैमिली रेस्टोरेंट में अवैध रूप से अनैतिक गतिविधियों के संचालन की सूचना प्राप्त हुई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देशन में आज दिनांक- 22.12.2025 को थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा रेस्टोरेंट पर दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट के कमरों से 04 युवक एवं 04 युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। पूछताछ में होटल मालिक द्वारा अधिक आर्थिक लाभ हेतु अनैतिक देह व्यापार संचालित कराए जाने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात सभी को समय 15.30 बजे हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त (संक्षेप में):

1. सर्वेश कुमार मौर्या पुत्र राजकुमार मौर्या निवासी ग्राम कबेलपुर कुम्हवट थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष (रेस्टोरेंट मालिक)
- . 04 युवक (थाना महाराजगंज, कप्तानगंज, बिलरियागंज व थाना जैदपुर जनपद अम्बेडकर नगर क्षेत्र के निवासी)
- 04 युवतियां (थाना महाराजगंज, अहरौला व कप्तानगंज क्षेत्र की निवासी)

बरामदगी (संक्षेप में):

- ₹1980 नगद
- 05 मोबाइल फोन
- 04 पैकेट कंडोम
- 03 मोटरसाइकिल (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 420/25, धारा 3/4/5/7 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

थाना प्रभारी जयप्रकाश, वरिष्ठ उ0नि0 विजय सिंह गौड़, उ0नि0 अमन तिवारी, म0उ0नि0 सानिया गुप्ता, म0का0 नीतू शुक्ला (थाना कप्तानगंज)।